प्रेस नोट दिनांक 20.06.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी सफलता: ई-रिक्शा में सक्रिय 'महिला टप्पेबाज गिरोह' की 02 महिला सदस्याएं गिरफ्तार, चोरी का माल से संबंधित नकदी बरामद-

थाना कोतवाली नगर पुलिस की बड़ी उपलब्धि: ई-रिक्शा सवारों को निशाना बनाने वाली टप्पेबाज गिरोह की 02 महिला सदस्याएं गिरफ्तार; ₹36,000 नकद बरामद

पुलिस अधीक्षक श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, थाना कोतवाली नगर पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम ने शहर में ई-रिक्शा सवार यात्रियों को अपना निशाना बनाकर आभूषणों की टप्पेबाजी करने वाले एक सक्रिय महिला गिरोह की 02 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

प्रथम घटना-

वादिनी निवासी भगवा चुंगी वी.टी.सी. रोड, प्रतापगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 06.05.2026 को वह ई-रिक्शा से अजीत नगर स्थित बचपन स्कूल अपने बच्चों को लेने जा रही थीं। रास्ते में पंजाबी मार्केट के पास एक लगभग 20 वर्षीय युवती द्वारा ई-रिक्शा रुकवाकर उसमें बैठने के पश्चात तीन अन्य अज्ञात महिलाएँ भी सवार हो गईं, जिनमें से एक के साथ बच्चा भी था। उक्त महिलाओं द्वारा बातचीत एवं धक्का-मुक्की कर वादिनी का ध्यान भटकाया गया, तथा संदिग्ध परिस्थितियों में उनका मंगलसूत्र गायब हो गया। बाद में वादिनी को संदेह हुआ कि यह घटना टप्पेबाजी की योजना के तहत की गई है। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 268/26 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

दित्तीय घटना-

वादी द्वारा बताया गया कि वह अपने ई-रिक्शा से पत्नी, सास एवं ससुर को लेकर जा रहा था, तभी G.I.C. स्कूल के सामने पाँच अज्ञात महिलाओं ने ई-रिक्शा रुकवाकर उसमें सवार हो गईं और एक बच्चे को सास की गोद में जबरन दे दिया, जिससे उनका ध्यान भटक गया। इसी दौरान महिलाओं द्वारा कथित रूप से सास के गले में पहनी लगभग 10 ग्राम की सोने की चैन टप्पेबाजी कर निकाल ली गई, जिसकी जानकारी बाद में घर पहुँचने पर हुई। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 352/2026 धारा-304 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अ पर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 अमित सिंह चौकी प्रभारी भगवा मय हमराह का0 नागेन्द्र खरवार,का० विलास यादव, मका0 आकांक्षा, म0का0 आयुशी यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की

सूचना पर मु0अ0सं0 352/2026 धारा-303 (2) बीएनएस व मु0अ0सं0 268/26 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्ताओं, 1. अंशिका देवी पत्नी राकेश कुमार निवासी सिरजनपुर थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया उम्र करीब 25 वर्ष, 2. करीना कुमारी पत्नी अरविंद कुमार निवासी भरवलिया थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर उम्र करीब 24 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत मां बेल्हा देवी रेलवे स्टेशन प्रतापगढ के पास से गिरफ्तार किया गया है।

02 अभियुक्ताओं के कब्जे से बरामद ₹36,000/- रुपये घटना से संबंधित माल के विक्रय (बिक्री) से प्राप्त धनराशि है। उक्त बरामदगी के आधार पर संबंधित अभियोग में धारा 317(2) बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण-
01. अंशिका देवी पत्नी राकेश कुमार निवासी सिरजनपुर थाना गौरी बाजार जनपद देवरिया उम्र करीब 25 वर्ष।
02. करीना कुमारी पत्नी अरविंद कुमार निवासी भरवलिया थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर उम्र करीब 24 वर्ष।

बरामदगी-
₹36,000/- रुपये घटना से संबंधित माल के विक्रय (बिक्री) से प्राप्त धनराशि बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अमित सिंह चौकी प्रभारी भगवा मय हमराह का0 नागेन्द्र खरवार,का० विलास यादव, मका0 आकांक्षा, म0का0 आयुशी यादव थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

नोट- पुलिस प्रशासन द्वारा आम जनमानस से अपील की गई है कि ई-रिक्शा या सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करते समय अज्ञात व्यक्तियों के साथ सावधानी बरतें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल नजदीकी थाने को दें।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा "हत्या के प्रयास" से संबंधित 01 अभियुक्त पवन गौतम को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा "हत्या का प्रयास" के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत धनीपुर खजोहरी निर्माणाधीन हाइवे के पास से गिरफ्तार किया गया।

प्रतापगढ़।
प्रार्थिनी निवासी ग्राम धनीपुर खजोहरी कटरा, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 18.06.2026 को जमीन के बंटवारे को लेकर उसके पति व पुत्र पवन गौतम के बीच विवाद हो गया, जिसमें पवन गौतम द्वारा गाली-गलौज करते हुए चाकू से जानलेवा हमला किया गया। बीच-बचाव करने आए छोटे पुत्र सुधीर गौतम को भी चाकू से घायल कर दिया गया, जिससे उसके हाथ में गंभीर चोट आई। उक्त प्रकरण में

थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 160/2026 धारा 115(2), 109(1), 352, 351(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री आलोक कुमार व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अभिषेक कुमार वर्मा मय हमराह हे0का0 रामबचन यादव व रि0का0 सूरज यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 160/2026 धारा 115(2), 109 (1), 352,351 (2)बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त पवन गौतम पुत्र सुबेदार गौतम निवासी ग्राम धनीपुर खजोहरी थाना को० देहात जनपद प्रतापगढ़ (उम्र 35 वर्ष) को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत धनीपुर खजोहरी निर्माणाधीन हाइवे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-
01. पवन गौतम पुत्र सुबेदार गौतम निवासी ग्राम धनीपुर खजोहरी थाना को० देहात जनपद प्रतापगढ़ (उम्र 35 वर्ष)।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अभिषेक कुमार वर्मा मय हमराह हे0का0 रामबचन यादव व रि0का0 सूरज यादव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्यवाही: थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसानेकी आरोपी महिला गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे धरपकड़ अभियान के अंतर्गत, थाना सांगीपुर पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए मृतक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर वांछित अभियुक्ता को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रतापगढ़।
वादी द्वारा अवगत कराया गया कि उनके चचेरे भाई की दिनांक 21.05.2026 को अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें उपचार हेतु सीएचसी सांगीपुर, तत्पश्चात जिला अस्पताल प्रतापगढ़ एवं स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज रेफर किया गया। प्रयागराज ले जाते समय रास्ते में उनकी स्थिति गंभीर होने पर सीएचसी सोरांव में चिकित्सकीय परीक्षण कराया गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वादी के अनुसार एम्बुलेंस में होश की अवस्था में मृतक द्वारा अपनी पत्नी के कथित अवैध संबंधों एवं प्रताड़ना संबंधी बातें कही गई थीं, जिसकी जानकारी एम्बुलेंस में साथ रहे व्यक्तियों द्वारा दी गई है। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर

थाना सांगीपुर में मु0अ0सं0 102/2026 धारा 108 बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी सांगीपुर श्री गौरव त्रिवेदी के नेतृत्व में उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह का0 सुनिल दुवे, का0 नेपाल सिंह रावत, रि0म0का0 शबीहा फातिमा, रि0म0का0 सौम्या सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 102/2026 धारा 108 बीएनएस थाना सांगीपुर, जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 अभियुक्ता किरन वर्मा पत्नी स्व0 अवधेश वर्मा निवासी ग्राम पूरे मेंडई पाण्डेय राजमतीपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष दीवानगंज बाजार के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का विवरण-
01. किरन वर्मा पत्नी स्व0 अवधेश वर्मा निवासी ग्राम पूरे मेंडई पाण्डेय राजमतीपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 आदित्य पाण्डेय मय हमराह का0 सुनिल दुवे, का0 नेपाल सिंह रावत, रि0म0का0 शबीहा फातिमा, रि0म0का0 सौम्या सिंह थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी, जनपद प्रतापगढ़।

थाना पट्टी पुलिस द्वारा जमीनी विवाद, मारपीट एवं मकान क्षतिग्रस्त करने के प्रकरण में 10000/- रुपये के ईनामिया 01 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना पट्टी पुलिस द्वारा जमीनी विवाद, मारपीट एवं मकान क्षतिग्रस्त करने के प्रकरण में इनामिया 01 अभियुक्त लालकृष्ण वर्मा उर्फ ठनके वर्मा को क्षेत्रान्तर्गत धनगढ सराय छिवलाह के आगे शंकर भट्टा मोड के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।
दिनांक 30.05.2026 को विपक्षीगण सत्यम दुबे, शशिधर दुबे, मनीष मिश्रा सहित अन्य नामजद एवं 80-90 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक राय होकर वादी की दुकान/मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। विरोध करने पर गाली-गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी देते हुए जेसीबी से मकान क्षतिग्रस्त कर दिया गया। प्रकरण के संबंध में थाना पट्टी पर मु0अ0सं0-227/2026, धारा 191(2), 191(3), 190, 119(2), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोेज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी पट्टी श्री आनन्द पाल सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह रि0का0 राहुल कुमार रि0का0 अभिषेक गौतम रि0का0 अरबिंद भारती महिला रि0का0 दिव्या यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 227/26 धारा 191 (2)/191 (3)/190/119 (1)/115 (2)/352/351 (3) बीएनएस थाना पट्टी प्रतापगढ से संबंधित 10000/- रुपये का ईनामिया 01 अभियुक्त लालकृष्ण वर्मा उर्फ ठनके वर्मा पुत्र रामकुमार उर्फ इन्द्रपाल वर्मा उर्फ भगत निवासी रमईपुर दिशनी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 32 वर्ष क्षेत्रान्तर्गत धनगढ सराय छिवलाह के आगे शंकर भट्टा मोड के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. लालकृष्ण वर्मा उर्फ ठनके वर्मा पुत्र रामकुमार उर्फ इन्द्रपाल वर्मा उर्फ भगत निवासी रमईपुर दिशनी थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 32 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 प्रदीप कुमार मय हमराह रि0का0 राहुल कुमार रि0का0 अभिषेक गौतम रि0का0 अरबिंद भारती महिला रि0का0 दिव्या यादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा "दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट" के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्तदीपक सरोज को गिरफ्तार किया गया-

थाना संग्रामगढ़ पुलिस अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत लोहिया की पुलिया भद्दीव के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी संग्रामगढ़ श्री मनोज कुमार तोमर के नेतृत्व में उ0नि0 सूबेदार राय, मय हमराह का0 कुलदीप यादव, का0 अभिनव द्विवेदी द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/65 (1) बीएनएस व 3/4 (2)पाक्सो एक्ट थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ से संबंधित 01 अभियुक्त दीपक सरोज पुत्र शभई सरोज निवासी ग्राम बडेरा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष क्षेत्रान्तर्गत लोहिया की पुलिया भद्दीव के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. दीपक सरोज पुत्र शभई सरोज निवासी ग्राम बडेरा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 सूबेदार राय, मय हमराह का0 कुलदीप यादव, का0 अभिनव द्विवेदी थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा "अपहरण" के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त आकाश सोनकर को गिरफ्तार किया गया-

थाना नवाबगंज पुलिस अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत हाइवे के पास भिटारी मोड के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी नवाबगंज श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 मुकेश सिंह परिहार मय हमराह उ0नि0 शिशिर पटेल व रि0का0 सूरज सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा-137(2)/87 बी0एन0एस0 थाना नवाबंगज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित अभियुक्त आकाश सोनकर पुत्र रामबाबू नि0 सुन्दरनगरी वाजिदपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 19 वर्ष क्षेत्रान्तर्गत हाइवे के पास भिटारी मोड के पास से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. आकाश सोनकर पुत्र रामबाबू नि0 सुन्दरनगरी वाजिदपुर थाना नवाबगंज जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 19 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 मुकेश सिंह परिहार मय हमराह उ0नि0 शिशिर पटेल व रि0का0 सूरज सिंह थाना नवाबगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रतापगढ़ पुलिस आमजन को आश्वस्त करती है कि महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सर्वोपरि है। किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की सूचना तुरंत डायल 112 या स्थानीय थाना पुलिस को दें। अपराधियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।